नईदुनिया

संपादकीय

जल्द न्याय के अहसास

देश के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की इस स्वीकारोक्ति ने हर संवेदनशील भारतीय के मन को छुआ कि अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों से तंग आकर लोग बस समझौता करना चाहते हैं। वैसे तो इस बात को सभी महसूस करते हैं लेकिन न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर आसीन मुख्य न्यायाधीश की स्वीकारोक्ति के गहरे निहितार्थ हैं। उन्होंने कहा कि लोग अदालतों में मुकदमों के लंबे खिंचने से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि किसी तरह समझौता करके पिंड छुड़ाना चाहते हैं। न्यायमूर्ति ने स्वीकारा कि एक जज के रूप में यह स्थिति हमारे लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। उन्होंने माना कि इन स्थितियों में किसी तरह का समझौता समाज में पहले से व्याप्त असमानता को ही दर्शाता है। उन्होंने वादों के शीघ्र निपटान में लोक अदालतों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया। नि:संदेह, गाहे-बगाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका द्वारा न्याय मिलने में होने वाली देरी को लेकर चिंता जरूर जतायी जाती है,लेकिन इस जटिल समस्या के समाधान की दिशा में बदलावकारी प्रयास होते नजर नहीं आते। जिसके चलते तारीख पर तारीख का सिलसिला चलता ही रहता है। न्याय के इंतजार में कई-कई पीढ़ियां अदालतों के चक्कर काटती रह जाती हैं। देश में शीर्ष अदालत, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में मुकदमों का अंबार निश्चित रूप से न्यायिक व्यवस्था के लिये असहज स्थिति है। बताया जाता है कि देश में तीनों स्तरों पर करीब पांच करोड़ मामले लंबित हैं। निश्चित ही यह न्यायिक व्यवस्था के लिये एक गंभीर चुनौती है। जिसके बाबत देश के नीति-नियंताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

नि:संदेह, भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के अनुपात में पर्याप्त न्यायाधीशों व न्यायालयों की उपलब्धता नहीं है। निश्चित रूप से न्याय का मतलब न्याय मिलने जैसा होना चाहिए। न्याय समाज में महसूस भी होना चाहिए। देश में न्याय की प्रक्रिया सहज व सरल तथा आम आदमी की पहुंच वाली होनी चाहिए। राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में न्यायिक प्रक्रिया की मांग लंबे समय से की जाती रही है। इस दिशा में कुछ प्रयास हुए भी हैं लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जिससे तारीख पर तारीख का सिलसिला थम सके। जिसके लिये जरूरी है कि अदालती मामलों का तय समय सीमा में निपटारा किया जाना सुनिश्चित हो। उम्मीद की जा रही है कि हाल ही में लागू हुए तीन नये आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद स्थिति में सुधार हो सकेगा। केंद्र सरकार भी कहती रही है कि नये कानूनों का मकसद लोगों को सजा देने के बजाय न्याय दिलाने पर केंद्रित है। विश्वास किया जाना चाहिए कि इन प्रयासों से मुकदमों के निस्तारण में गति आएगी। देश की जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि दशकों से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो। जिससे न्यायिक प्रक्रिया से हताश-निराश लोग समझौता करने को बाध्य न हों। विश्वास किया जाना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश की चिंता के बाद न्यायिक प्रक्रिया को सरल-सुगम बनाने के लिये अभिनव पहल हो सकेगी। जिससे आम लोगों की समय पर न्याय मिलने की आस पूरी हो सकेगी।

कोटे के अंदर कोटा का सुप्रीम निर्णय

कोर्टयार्ड

-डॉ. आशीष वशिष्ठ

सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक अहम फैसले में यह साफ कर दिया है कि राज्यों को आरक्षण व्यवस्था में कोटे के भीतर भी कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग में भी आरक्षण के लिए अलग-अलग श्रेणियां बना सकती हैं। यह अधिकार अभी तक राष्ट्रपति के पास ही सुरक्षित था। संसद में ही प्रस्ताव पारित कर, किसी भी जाति को, आरक्षण के दायरे में लाया जा सकता था अथवा जाति को आरक्षण से बाहर भी किया जा सकता था। इस फैसले के बाद इन वर्गों में हाशिये पर पड़ी जातियों को आरक्षण का फायदा मिलने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यह बात भी लगातार उठाई जा रही थी कि समुचित अवसर नहीं मिलने के कारण आरक्षित अजा-जजा वर्ग में भी ऐसी कई जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन से उबर नहीं पा रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य समूह दो भागों में बंटते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक दल अपने नफे-नुकसान के हिसाब से इस फैसले पर बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों ने इस मुद्दे पर लगभग चुप्पी साध रखी है। राजनीतिक चश्मे से इतर देखें तो संविधान पीठ का फैसला सामाजिक न्याय के लिए 'मील का पत्थर' साबित हो सकता है। वर्तमान में दलित और आदिवासियों को शिक्षा और नौकरियों में क्रमश: 15 फीसदी और 7.5 फीसदी आरक्षण हासिल है। संविधान पीठ के दो कथन महत्वपूर्ण हैं। एक, एससी-एसटी के कोटे में कुछ जातियों का उप-वर्गीकरण करने से संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं होता। समानता का सिद्धांत यथावत रहेगा। दूसरे, आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित कर देना चाहिए। यदि पहली पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर उच्च स्थिति तक पहुंच गई है, तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस बीआर गवई ने एससी-एसटी पर भी, ओबीसी की तरह, 'क्रीमीलेयर' लागू करने की बात कही है। यह विवादास्पद मुद्दा बन सकता है। आरक्षण के आधार पर जो दशकों से राजनीति करते आ रहे हैं अथवा आरक्षण के कारण ही राजस्थान की एक खास जाति में पीढ़ी-दर-पीढ़ी आईएएस अफसर बनते रहे हैं, वे अपने हिस्से को बंटने क्यों देंगे? अनुसूचित जाति समूह के भीतर जातियों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने का इतिहास दशकों पुराना है। वर्ष 1960 में कोटे के अंदर कोटा की मांग आंध्र प्रदेश में उठी थी, जो कई सालों तक चली। इसके बाद 1997 में तब की आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायमूर्ति पी. रामचंद्र राजू आयोग का गठन किया, जिसने कहा था कि आरक्षण का लाभ बड़े पैमाने पर अनुसूचित जातियों के बीच एक विशेष जाति के पास गया है और इसलिए, एससी को चार समूहों में वर्गीकृत करने की सिफारिश की।

1998 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों में एक सब कैटेगरी बनाने का एक प्रस्ताव पास किया। 2001 में यूपी सरकार ने हुकुम सिंह समिति का गठन किया, जिसने कहा कि आरक्षण का लाभ सबसे अधिक वंचित वर्गों के लोगों तक नहीं पहुंचा है। इसमें कहा गया कि यादवों को अकेले नौकरियों का अधिकतम हिस्सा मिला है। इस समिति ने भी एससी/ओबीसी की सूची की सब कैटेगरी बनाने की सिफारिश की थी। 2005 में कर्नाटक सरकार ने न्यायमूर्ति एजे सदाशिव पैनल की स्थापना की, जिसमें एससी जातियों के बीच उन जातियों की पहचान करने पर जोर दिया गया, जिन्हें कोटा से लाभ नहीं मिला। पैनल ने 101 जातियों को चार श्रेणियों में विभाजित करने की सिफारिश की।

2006 में तब की केंद्र सरकार ने सब कैटेगरी के लिए एक पैनल बनाने का निर्णय लिया। 2007 में उषा मेहरा को इस पैनल का अध्यक्ष बनाया गया। 2007 में ही बिहार के महादलित पैनल ने भी ऐसी सिफारिशें की। इसमें कहा गया कि एससी की 18 जातियों को अत्यंत कमजोर जातियों के रूप में माना जाना चाहिए। 2008 में उषा मेहरा ने केंद्र को रिपोर्ट सौंपी। 2009 में यूनाइटेड आंध्र प्रदेश से सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी ने केंद्र को पत्र लिख इसे संवैधानिक गारंटी देने की मांग की। साल 2014 में तेलंगाना के बनने के बाद केसीआर ने एक प्रस्ताव पास कर केंद्र से सब कैटेगरी बनाने की मांग की। 2023 में सिकंदराबाद की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वो कोटे के अंदर कोटे का समर्थन करेंगे। पहली अगस्त, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

ताजा फैसला पंजाब का है। दरअसल पंजाब सरकार ने 2006 में कानून बनाया था कि राज्य में एससी-एसटी आरक्षण में 50 फीसदी आरक्षण, पहली प्राथमिकता के तहत, वाल्मीकि और मजहबी सिखों को मिलेगा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2010 में इसे रद्द कर दिया था। इन तमाम संदर्भों में पीठ ने अलग-अलग अनुच्छेद की व्याख्या स्पष्ट की है और राज्यों के अधीन उप-वर्गीकरण का फैसला दिया है। डाटा के आधार पर यह कोटा बदलता रहेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी एक वर्ग को 100 फीसदी आरक्षण न दे दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से वर्ष 2004 के 'ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र' वाले मामले में दिए गए अपने फैसले का फैसले को पलट दिया है। जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों व जनजातियों की सब-कैटेगरी नहीं बना सकतीं।

सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि राज्यों को सब-कैटेगरी देने से पहले एससी और एसटी श्रेणियों के बीच क्रीमीलेयर की पहचान करने के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। यह अवधारणा भी स्पष्ट होनी चाहिए। ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण उनकी सालाना आय के आधार पर तय किया जाता है। क्रीमीलेयर की सीमा 8 लाख रुपये सालाना है। यानी करीब 67,000 रुपए महीना। यह वर्ग गरीब कैसे हो सकता है? दूसरी ओर वे लोग भी हैं, जो तीन चार सौ रुपए रोजाना कमाने में भी असमर्थ हैं। बेहतर होता कि क्रीमीलेयर पर भी न्यायिक फैसला सुनाया जाता। मंडल के बाद यह दूसरा ऐतिहासिक फैसला है। 'मील का पत्थर' तभी साबित हो सकता है, जब क्रीमीलेयर वाला फैसला लागू किया जाएगा। जाहिर है कि फैसले को धरातल पर लागू कराने के लिए राज्यों को काफी काम करने की जरूरत है।

रोजगार सृजन केंद्र सरकार की प्राथमिकता

नजरिया

-डॉ. उमेश प्रताप सिंह

इस वित्तीय वर्ष में भी सरकार ने बुनियादी ढांचे पर सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत व्यय रखा है जो कि लगभग 11.11 लाख करोड़ रुपये है। साथ ही राज्यों को 1.50 लाख करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बिना ब्याज के देने की घोषणा की गई है। यह सरकार की नीतिगत निरंतरता को दर्शाता है। बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ने से भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना रहती है।

पिछले 10 वर्ष में मोदी सरकार ने स्पष्ट रूप से निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की नीति पर कार्य किया है। सरकार का ध्येय वाक्य था न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। स्पष्ट है कि सरकार जो कार्य करेगी और रोजगार पैदा करेगी दोनों ही दृष्टियों से उसके आकार में कमी आएगी। सरकार की सभी नीतियों और सुशासन का उद्देश्य निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करना और आर्थिक समृद्धि को तेज करना होगा। इसलिए सरकार राजकोषीय घाटे को कम करके बाजार से कम ऋण लेगी, जिससे की निजी क्षेत्र के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो सके। आधारिक संरचना पर अधिक व्यय करके उसे मजबूत करने के लिए प्रयास करेगी जिससे कि निजी निवेश बढ़े। अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण एवं डिजिटलीकरण से सरकार अपनी दक्षता को बढ़ाएगी। साथ ही अर्थव्यवस्था में होने वाले हस्तक्षेप को कम करेगी जिससे कि इंस्पेक्टरराज, लालफीताशाही या नौकरशाही के हस्तक्षेप में कमी आए। कुल मिलाकर यह सरकार की शुरू से नीति रही है कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर आर्थिक समृद्धि को तेज किया जाए, जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ेगा।

मोदी सरकार की एक खासियत है नीतिगत निरंतरता। पिछले 10 वर्ष में सरकार ने नीतियों की जो दिशा निर्धारित की है नए बजट में उसी को आगे बढ़ाया गया है। परंतु साथ ही सरकार ने उन मुद्दों को भी बजट में समाहित करने का प्रयास किया है जिसके कारण उसे चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। इसीलिए रोजगार के नए अवसरों के सृजन पर खास जोर दिया गया है। बजट 2024 में ऐसे नौ क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जिन पर आने वाले वर्षों में भी सरकार का फोकस रहेगा और जो भारत को विकसित देश की कतार में खड़ी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये क्षेत्र हैं - कृषि क्षेत्र, कौशल विकास, मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, बुनियादी ढांचा, शहरी विकास, नवाचार शोध एवं विकास, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सुधार। इन नौ क्षेत्रों से संबंधित ज्यादातर घोषणाएं रोजगार को बढ़ाने वाली है और युवाओं को केंद्र में रखकर के तैयार की गई है।

इस वित्तीय वर्ष में भी सरकार ने बुनियादी ढांचे पर सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत व्यय रखा है जो कि लगभग 11.11 लाख करोड़ रुपये है। साथ ही राज्यों को 1.50 लाख करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बिना ब्याज के देने की घोषणा की गई है। यह सरकार की नीतिगत निरंतरता को दर्शाता है। बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ने से भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना रहती है। भारत में पर्यटन क्षेत्र की असीम संभावनाएं हैं बल्कि रोजगार सृजन के लिहाज से भी यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है। बजट में पर्यटन के लिए ढाई हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

रोजगार वृद्धि: सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं की घोषणा की है जोकि विशेष रूप से निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित कर सकते हैं। बजट के अनुसार अगले दो से चार वर्षों में चार करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिस पर 2 लाख करोड रुपये का व्यय होगा।पिछले कार्यकाल में, सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत बड़ी कंपनियों को सब्सिडी प्रदान की गई जोकि उत्पादन के स्तर से जुड़ी थी। भारत जैसे श्रम-अधिशेष देश में पीएलआई ने रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। पीएलआई से कंपनियों के लिए श्रम को मशीनरी से बदलना और सब्सिडी लाभ लेना ही मुख्य रहा। इस बजट की बड़ी प्राथमिकता रोजगार और कौशल विकास है। इन योजनाओं में सरकार पहली बार कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह पीएलआई से इम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव या ईएलआई में बदलाव है। बजट में रोजगार पैदा करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र को मदद देगी। प्रधानमंत्री रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पैकेज के तहत निजी कंपनियों के लिए तीन तरह के प्रोत्साहन के घोषणा की गई है। पहला, निजी कंपनी में पहली बार नौकरी पाने वाले युवा को पहले महीने का वेतन का भुगतान सरकार करेगी यदि वेतन प्रति माह एक लाख रुपये से कम है। इसमें प्रति युवा अधिकतम सहायता राशि ?15000 निर्धारित की गई है। या रकम सीधे संबंधित व्यक्ति के खाते में जाएगी और तीन किस्तों में दी जाएगी। दूसरा, 1 वर्ष में 50 या उससे अधिक नौकरी सृजित करने वाले प्रतिष्ठानों में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के वेतन का एक हिस्सा सरकार देगी। पहले और दूसरे वर्ष में वेतन का 24 प्रतिशत, तीसरे वर्ष में 16 और चौथे वर्ष में 8 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी । यह राशि नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच बराबर-बराबर बांट दी जाएगी। तीसरा, ईपीएफओ में अंशदान करने वाले नियोक्ताओं को विनिर्माण क्षेत्र में नई नौकरी सृजित करने पर सरकार सहायता देगी। ईपीएफओ में नियोक्ता और कर्मचारियों की राशि के एक हिस्से का भुगतान सरकार करेगी यदि नौकरी पाने वाला युवा पहले ईपीएफओ में शामिल न हुआ हो और वेतन प्रतिमाह एक लाख रुपये से कम हो।

युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सरकार की एक और योजना महत्वपूर्ण है। देश की शीर्ष 500 कंपनियों में उन्हें पढ़ाई के तुरंत बाद इंटर्नशिप का एक मौका मिलेगा। इसके अंतर्गत 5 वर्ष में एक करोड़ युवाओं के लिए प्रशिक्षण की योजना है जिसमें 21 से 24 साल की युवा आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान 12 महीने के प्रशिक्षण के साथ ही प्रतिमाह ?5000 का भत्ता मिलेगा। इस दौरान ?6000 की एकमुश्त मदद अलग से मिलेगी। इस दौरान इंटर्नशिप व प्रशिक्षण लागत पर होने वाले कुल व्यय का 10 प्रतिशत कंपनियां अपने सीएसआर फंड से व्यय करेंगी। उल्लेखनीय है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रों के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य है। लक्ष्य यह है कि स्नातक के बाद छात्रों के पास कुछ रोजगारपरक कौशल का विकास हो। इस तरह की पहल शैक्षणिक संस्थाओं और उद्योगों के बीच संबंध मजबूत करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। परंतु इस योजना की सफलता कंपनियों की रुचि और सहयोग पर निर्भर करेगा।

आजकल

मादक पदार्थों का नेटवर्क

जो तंत्र आतंकवाद मिटाने में लगा है, अगर उसके आंतरिक ढांचे में ही आतंकी संगठनों की घुसपैठ हो जाए, तो मुश्किलें बढ़ेंगी ही। इसलिए सरकार को अपने समूचे तंत्र में हर स्तर पर ऐसे तत्वों की पहचान करने की जरूरत है, जो किसी भी रूप में आतंकवादी संगठनों के लिए मददगार हो सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की समस्या बेहद जटिल हो चुकी है, तो इसका एक बड़ा कारण आतंकी संगठनों को कभी-कभार मिलने वाली स्थानीय मदद भी है। अगर आतंकवाद से लड़ने वाले तंत्र में ही कुछ लोग ऐसे हों, जो परोक्ष रूप से आतंकियों के मददगार हों, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे हालात पैदा हो सकते हैं। शनिवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जिस तरह नार्को-आतंकवाद से कथित संबंधों के आरोप में पांच पुलिसकर्मियों सहित छह कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, उससे रेखांकित होता है कि वहां आतंकवाद की समस्या अपने किस जटिल स्वरूप में मौजूद है। सरकार की ओर से कराई गई जांच में सामने आया कि जिन लोगों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, वे पाकिस्तानी जासूसी एजंसी (आईएसआई) और सीमा पार पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूहों द्वारा संचालित नार्को-आतंकवाद का हिस्सा थे। सरकारी कार्रवाई की जद में आए पुलिसकर्मी और कर्मचारी मादक पदार्थों की बिक्री के जरिए आतंकवाद के वित्तपोषण में लिप्त पाए गए।

दरअसल, कुछ मादक पदार्थों की खेती भारतीय क्षेत्र में नहीं की जाती, पर पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद में इनका इस्तेमाल हथियार के तौर पर हो रहा है। भारत में इसकी तस्करी और खपत कई आतंकी नेटवर्कों के जरिए पाकिस्तान से होती है। आतंकी संगठन आमतौर पर युवाओं को अपने प्रभाव में लेते और मादक पदार्थों के जरिए उन्हें आतंकी जाल का हिस्सा बनाते हैं। ऐसे में स्थानीय समुदायों के बीच आतंकवादियों की घुसपैठ की समस्या में अगर खुद पुलिस महकमे के कोई अधिकारी या कर्मी हिस्सेदारी करने लगें तो इस समस्या की जटिलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। शायद यही वजह है कि कई बार आतंकवादी संगठन घाटी में अपना जाल फैलाने और अक्सर हमले करने में कामयाब हो जाते हैं। जो तंत्र आतंकवाद मिटाने में लगा है, अगर उसके आंतरिक ढांचे में ही आतंकी संगठनों की घुसपैठ हो जाए, तो मुश्किलें बढ़ेंगी ही। इसलिए सरकार को अपने समूचे तंत्र में हर स्तर पर ऐसे तत्त्वों की पहचान करने की जरूरत है, जो किसी भी रूप में आतंकवादी संगठनों के लिए मददगार हो सकते हैं।

भारत के मानसूनी रंग...

राकेश दुबे

काश्मीर से कन्या कुमारी तक मानसून भारत को तरबतर कर रहा है। कहीं मौसम जन्य विभीषिका दिख रही है तो कहीं हरीतिमा ओढ़े प्रकृति खड़ी है, सही अर्थों में भारत की सांस्कृतिक विविधता ऐसी है कि कोई भी मौसम हो उत्सवों पर कभी विराम लगता ही नहीं है, पूरे साल जारी रहते हैं। मानसून का तो अपना ही मूड होता है, लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों के अपने अलग विशिष्ट उत्सव हैं।

देश में हर मौसम की अपनी क्षेत्रीय परम्पराएं व रिवायतें हैं। जब बारिश पड़ने के बाद हर जगह हरियाली छा जाती है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की विभिन्न संस्कृतियों में अलग-अलग तरह से जश्न मनाये जाने लगते हैं। जैसे पुरी, ओडिशा की रथ यात्रा भारत का सबसे विख्यात मानसून उत्सव है। दुनिया के हर कोने से भक्तगण इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं।

आदि पेरुक्कू मानसून महोत्सव मुख्यत: तमिलनाडु का उत्सव है जो तमिल महीने आदि के 18वें दिन मनाया जाता है। यह उत्सव महिला केंद्रित है और पानी के जीवन-निर्वाह गुणों को भावांजलि देने के लिए मनाया जाता है। यह तमिलनाडु की नदियों, घाटियों, पानी के टैंकों, झीलों, कुओं आदि के पास मनाया जाता है, जब उनमें पानी का स्तर काफी बढ़ जाता है और मानसून की शुरुआत होती है। मान्यता यह है कि पानी ही जीवन है क्योंकि बारिश से ही झील, तालाब, नदी जल के स्रोत भरते हैं। इस उत्सव में महिलाएं पानी के परवरिश करने के गुणों की पूजा करती हैं, जिसके कारण जीवन सुरक्षित है।

यूं तो गोआ जनवरी से दिसम्बर तक उत्सव के मूड में ही रहता है, लेकिन मानसून में वह विशेष रूप से साओ जोआओ उत्सव मनाता है, जो इतना जिंदादिल होता है कि रंगों और उत्साह से भरा होता है। हर साल 24 जून को सेंट जॉन द बैप्टिस्ट का सम्मान करते हुए मनाये जाने वाले इस उत्सव की विशिष्ट परम्पराएं हैं, जिनमें फूलों के ताज पहनकर पानी में कूदना भी शामिल है। इस उत्सव में फलों, ड्रिंक्स आदि उपहारों का आदान-प्रदान भी होता है। गांवों में नदी किनारे आपको कार्निवल बोट्स भी देखने को मिलेंगी।

उत्तर पूर्व भारत के पहाड़ों के बीच में बसा मेघालय अपने मानसून उत्सव बेहदीनखलम में बहुत गहरी छलांग लगाता है। बेहदीनखलम का अर्थ होता है बुरी शक्तियों को भगाना। इसलिए इस उत्सव को मनाने के पीछे का उद्देश्य भी हैजा व अन्य महामारियों से मेघालय के वासियों को सुरक्षित रखने की कामना करना है। साथ ही इस उत्सव में भगवान से यह भी मांगा जाता है कि उनके समुदाय को समृद्धि और अच्छी फसल का वरदान दे।

लद्दाख का मानसून उत्सव हेमिस सबसे सम्मानित बौद्ध मठ हेमिस गोम्पा में आयोजित किया जाता है, जो कि 'लैंड ऑफ हाई पासेस' में है। यह उत्सव पूरे दो दिन तक मनाया जाता है और इसका संबंध गुरु पद्मसंभव के जन्म दिवस से भी है, जो तिब्बती चंद्र माह के दसवें दिन पड़ता है। दूसरे शब्दों में इस उत्सव की टाइमिंग कुछ ऐसी है कि लगभग जुलाई के मध्य में ही इसका आयोजन होता है। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण चाम है जो कि तांत्रिक बुद्ध मत का बुनियादी पहलू है। इस उत्सव में विस्तृत कपड़े, पगड़ी, ज़ेवर आदि पहनकर भिक्षु नृत्य नाटक करते हैं। देश की हिंदी पट्टी के नाम से चिन्हित प्रदेशों में सावन के झूलों और कजरी गाने की परंपरा है तो बुंदेलखंड में यह काल आल्हा को समर्पित रहता है। मानसून में आकाश का रंग कुछ भी भारत के रंगों की छटा निराली होती है।